संख्या-38/2017/सा-3-755/दस-2017-944 टी0सी0-1

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1)-प्रमुख सचिव, गृह / न्याय / कार्मिक / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।

(2)-सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन।

(3)-निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

(4)-निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 14 दिसम्बर, 2017

विषय : पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक।

महोदय,

पेंशनर्स सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक दिनॉक 22-12-2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे **प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नवीन भवन स्थित सभा कक्ष "परिजात" (कक्ष संख्या-84) में आहूत की गयी है।**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनॉक 05-10-2015 को सम्पन्न पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत में उल्लिखित अपने से सम्बन्धित बिन्दु पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के साथ दिनॉक 22-12-2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-38/2017/सा-3-755(1)/दस-2017, तद्दिनांक।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1)- श्री शिव प्रकाश, से0नि0, विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

(2)- संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मांचल नगर, लखनऊ।

(3)- गर्वनमेण्टर पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(4)- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, 60, गुरूगोविन्द सिंह मार्ग निकट शशिभूषण बालिका विद्यालय फ्लैट न0-6 धींगरा अपार्टमेंट लखनऊ।

(5)- पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स वेलफयर उ0प्र0, 111-चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ।

(6)- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, कक्ष सं0-519 बापूभवन सचिवालय ।

(7)- उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्यापण संस्थासन, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(8)- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 रायभवन, 14/630, अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

(9)- सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियशन, उ0प्र0 19/76 इन्दिरा नगर लखनऊ।

(10)- उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, 51 मानस विहार, कुर्मांचल नगर, लखनऊ।

(11)- फेडरेशन ऑफ यू0पी0 पेंशनर्स एसोसिएशन, डी-2186 इन्दिरानगर लखनऊ।

(12)- पी0पी0एस (रि0) आफिसर्स वेलफेयर उ0प्र0, 8 लक्ष्मणपुरी फैजाबाद, लखनऊ।

(13)- सेवानिवृत्त सिंचाई अभियंता, कल्याण संघ, उ0प्र0 फ्लैट न0-7 मंगलारम्भ अपार्टमेंट, 1 कबीरमार्ग लखनऊ।

(14)- विद्युत पेंशनर्स परिषद उ0प्र0, 103 तीर्थ शिखर अपार्टमेंट 22 ऑफ स्टेशन रोड छितवापुर भुय्यन लखनऊ।

(15)- एल0एस0जी0ई0डी0/यू0पी0 जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन, बी-1041 इन्दिरानगर, लखनऊ।

(16)- कामर्शियल टैक्स (रिटा0) आफीसर्स एसोसिएशन, उ0प्र0 2/282 विकास खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

(17)- पी0डी0एस0 रिटायर्ड आफीसर्स वेलफेयर एसोसिएशन उ0प्र0, 3/219 विभव खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पेंशनर सलाहकार समिति की प्रथम बैठक दिनांक 05-10-2015 का कार्यवृत्त</u>

<u>उपस्थिति :</u> संलग्न सूची के अनुसार।

वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या-14/2015-सा-3-414/दस-2015-944/88 दिनांक 24.06.2015 द्वारा गठित पेंशनर सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 05.10.2015 को सम्पन्न हुई ।

2- बैठक में उपस्थित पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ तथा समिति द्वारा अधोलिखित संस्तुतियाँ की गयीं :-

1	**<u>चर्चा के बिन्दु :</u>** (I)-असाध्य असाध्य बीमारी (हृदय, किडनी, लीवर, कैंसर) के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा की नियमावली में सेवानिवृत्तों को भी शामिल किया जाये। (II)-परिचर्या नियमावली में दावा प्रस्तुत करने की सीमा तीन माह, निरन्तर चलने वाले इलाज के लिए हटाई जाये तथा आश्रितों के लिए आय], आयु एवं साथ रहने की शर्त हटाई जाए । (III)-बुढापा स्वयं में एक बीमारी है। 65 वर्ष की आयु के ऊपर सेवानिवृत्तों की छोटी-मोटी बीमारियों के लिए "चिकित्सा राहत" दिया जाये। यह सुविधा न्यायिक सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्राप्त है। (IV)-चिकित्सा परिचर्या नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप संविदाकृत अनुबंधित चिकित्सालयों की सूची जारी की जाय तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** **समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि उपर्युक्त बिन्दु चिकित्सा परिचर्या नियमावली में संशोधन हेतु गठित समिति के समक्ष रखे जायें ।** **(कार्यवाही : चिकित्सा विभाग)**
2	**<u>चर्चा के बिन्दु :</u>** (I)-राजकीय रोडवेज काल में नियुक्त तथा 27 अगस्त, 1982 के बाद पेंशनेबुल पदों पर प्रोन्नत कार्मिकों को पेंशन अनुमन्य किये जाने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कर, राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन भुगतान किया जाये। (II)-सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत की छूट दिया जाए। (III)- राजकीय परिवहन निगम की बस किराये में रेलवे की भाँति छूट तथा वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिये सीट का आरक्षण किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	<u>समिति की संस्तुति :</u> **उपर्युक्त बिन्दु परिवहन विभाग को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।** **(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3/परिवहन विभाग)**
3	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** पेंशन पुनरीक्षण में पेंशनर को सेवा विवरण के लिये बहुत अधिक भाग दौड़ करना पड़ता है। पेंशन विभाग में सारा विवरण रहता है । पूरी सूचनाओं को पी0पी0ओ0 में प्रवृष्ट किया जाये और ऑन लाईन कर दिया जाये जिससे भविष्य में पुनरीक्षण आसान हो । **<u>समिति की संस्तुति :</u>** सेवा विवरण पी0पी0ओ0 में शामिल करने हेतु पी0पी0ओ0 के प्रारूप में संशोधन पर विचार किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति को अवगत कराया गया कि ऑन लाईन पेंशन की व्यवस्था 27 जनपदों में लागू हो चुकी है तथा शेष जनपदों में भी यह प्रणाली शीघ्र लागू की जायेगी । **(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)**
	<u>चर्चा का बिन्दु :</u> नये वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के उपरान्त पेंशन प्रपत्र के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित किया जाय । **<u>समिति की संस्तुति :</u>** इस बिन्दु का सम्यक परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निदेशक, पेंशन को दिये गये। **(कार्यवाही वित्त : (सामान्य) अनुभाग-3/निदेशक, पेंशन)**
	<u>चर्चा का बिन्दु :</u> भारत सरकार व राज्य सरकार के अनेक वेतनमानों में विसंगतियाँ होने के कारण 2008 के बाद संशोधन किया गया है । कुछ संवर्गों में दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक व कुछ संवर्गा को तत्काल प्रभाव से वेतन निर्धारण किया जाये । इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के दिनांक को काल्पनिक निर्धारण कर पेंशन पुनरीक्षित की जाये । मौलिक लाभ लागू होने की तिथि से दिया जा सकता है। **<u>आख्या :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-486 के अनुसार, पेंशनरी लाभ, सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व आहरित वेतन के आधार पर देय होते हैं। अतः किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त वेतनमानों में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की तिथि से हुए उच्चीकरण का लाभ सेवानैवृत्तिक देयों के प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	<u>चर्चा का बिन्दु :</u> भारत सरकार के एम.ओ. दिनांक 30-7-2015 के अनुसार न्यूनतम पेंशन को दिनांक 01-01-2006 से प्रभावी माना जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे। **(कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)**
	<u>चर्चा का बिन्दु :</u> नये वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पेंशन पुनरीक्षण स्वीकर्ता अधिकारी से कराने के पश्चात पेंशन प्रपत्र के आधार पर कोषागार द्वारा किया जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** इस बिन्दु का सम्यक परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निदेशक, पेंशन को दिये गये। **(कार्यवाही वित्त : (सामान्य) अनुभाग-3/निदेशक, पेंशन)**
4	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** पेंशनर्स की 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर पेंशन में क्रमशः 5, 10, 15 प्रतिशत की वृद्धि **<u>आख्या :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की व्यवस्था, जो छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित हैं, के अनुसार हैं। सम्प्रति इसमें परिवर्तन सम्भव नहीं हैं । वित्त (सा0) अनु0-3 के का0ज्ञा0 दिनांक-08-12-2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृद्ध पेंशनरों को 80 वर्ष परन्तु 85 वर्ष से कम की आयु पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष परन्तु 90 वर्ष से कम की आयु पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 90 वर्ष परन्तु 95 वर्ष से कम की आयु पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 95 वर्ष परन्तु 100 वर्ष से कम की आयु पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन तथा 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य है फिर भी उक्त बिन्दु 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित की जा चुकी है।
5	**<u>चर्चा के बिन्दु :</u>** (I)-पेंशनर को वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण-पत्र देना होता है । बीमार, अशक्त अधिक आयु वालों को सुविधा के लिये प्रत्येक ट्रेजरी में पेंशन में से "स्वयं सेवक" नियुक्त किये जायें जो उनके घर पर जाकर

http://shasanadesh.up.nic.in

	औपचारिकता पूर्ण करायें । इस स्वैच्छिक सेवा में सरकार पर वित्तीय भार भी नहीं आयेगा । (ii)- पारिवारिक पेंशनरों की पहचान उसी कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले किसी पेंशनर अथवा पेंशनर्स संगठन के प्रतिनिधियों को सत्यापन हेतु अधिकृत किया जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि जीवित प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण शासनादेश संख्या-9/2015/एस-1-431/ दस-2015-10(23)/95, दिनांक 13-05-2015 द्वारा किया जा चुका है। विकलाँग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा गंभीर रोग से ग्रसित पेंशनरों के घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था भी लागू कर दी गयी है। किसी कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों द्वारा सत्यापन किये जाने के बिन्दु पर प्रस्ताव रखे जाने के निर्देश निदेशक, कोषागार को दिये गये । (कार्यवाही : निदेशक, कोषागार)
6	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** राशिकरण का भुगतान दो भागों में होने पर दोनों की कटौती पहले भाग के भुगतान की तिथि से की जाती है जबकि दूसरे भाग की कटौती दूसरे भुगतान की तिथि से होनी चाहिये । इस संबंध में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये । **<u>आख्या :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि दो राशिकरण के मामले में शासनादेश संख्या सा-3-1029/दस-308-97 दिनांक 13 जून, 2000 के प्रस्तर-2(1)ड. में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित है :- "उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जायेगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जायेगी। अर्थात इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियाँ होंगी अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष होगी।" उक्त व्यवस्था को निदेशालय के पत्रांक-पे0नि0/अधि0/ 72डी/ 2014-15/7202 दिनांक 24-11-2014 द्वारा सभी कोषागारों को पुनः अवगत करा दिया गया है।
7	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** राशिकरण का भुगतान दो भागों में होने पर दोनों की कटौती पहले भाग के

http://shasanadesh.up.nic.in

	भुगतान की तिथि से की जाती है जबकि दूसरे भाग की कटौती दूसरे भुगतान की तिथि से होनी चाहिये। इस संबंध में जारी आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित की जाये। **<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** राशिकृत धनराशि की 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में बहाली। **<u>आख्या :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की व्यवस्था, जो छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित हैं, के अनुसार हैं। सम्प्रति इसमें परिवर्तन सम्भव नहीं हैं। यदि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र विचार किया जायेगा।
8	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** पेंशनरों पर पूर्णतः आश्रित विधवा पुत्रवधू को भी पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह किया जाय। **<u>समिति को संस्तुति :</u>** इस संबंध में समुचित व्यवस्था बनाये जाने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को निर्देश दिये गये। (कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)
9	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** नई पेंशन योजना के डी0सी0आई0 खाते में कटौती की गयी धनराशि का प्रान खाते में शत प्रतिशत समायोजन सुनिश्चित किया जाना । **<u>समिति की संस्तुति :</u>** निदेशक पेंशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में डी0सी0आई0 खाते से की गयी कटौतियाँ नियमित रूप से PRAN में स्थानान्तरित की जा रही है। दिनांक 30-09-2015 तक लगभग रू0-222 करोड़ की राशि PRAN में स्थानान्तरित की जा चुकी है जो डी0सी0आई0 में जमा कुल धनराशि का लगभग 40 प्रतिशत है। अवशेष धनराशि शीघ्र स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश निदेशक, पेंशन को दिये गये । (कार्यवाही : निदेशक, पेंशन)
	<u>चर्चा का बिन्दु :</u> अंशदायिक पेंशन व्यवस्था निवेशित धन वापसी की योजना है इसके स्थान पर पुरानी ''परिभाषित पेंशन व्यवस्था'' लागू किया जाये ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	<u>समिति की संस्तुति :</u> राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय प्रबन्धन एवं कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक एवं वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लागू की गयी है। पूरे देश में सम्प्रति नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू है। अतः सम्प्रति इस व्यवस्था में परिवर्तन का अवसर नहीं है।
10	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** सेवानिवृत्ति के बाद मा0 न्यायालय अथवा जॉच एजेसी के समक्ष बुलाये जाने की स्थिति में सेवाकाल की भॉति यात्रा/दैनिक भत्ता दिया जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** गृह विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव गृह विभाग के विचाराधीन है। प्रकरण पर अन्तिम निर्णय कराते हुये शासनादेश शीघ्र जारी कराये जाने निर्देश समिति द्वारा दिये गये। (कार्यवाही : गृह विभाग)
11	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** कोषागार परिसर में पेंशनर के लिए "पेंशनर कक्ष" बनाया जाए। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** समिति को अवगत कराया गया कि पेंशनर कक्ष की व्यवस्था पहले से है। दिनांक 01 सितम्बर, 2015 में पुनः शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। समिति द्वारा निदेशक कोषागार निर्देश दिये गये कि कोषागारों में पेंशनरों के बैठने एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। (कार्यवाही : निदेशक, कोषागार)
12	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने हेतु ट्रेजरी के साफ्टवेयर में एक कालम बनाया जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** कोषागार साफ्टवेयर में संशोधन कराये जाने हेतु निदेशक, कोषागार को निर्देश दिये गये। (कार्यवाही : निदेशक, कोषागार)
13	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** प्रोवीजनल पेंशन (अनन्तिम पेंशन) अधिकतम 3 वर्ष तक निरन्तर भुगतान किया जाय। तदुपरान्त अन्तिम पेंशन दी जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	<u>समिति की संस्तुति :</u> वर्तमान व्यवस्था सेवानिवृत्त कार्मिक के हित संरक्षण के लिये है फिर भी इस बिन्दु पर सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को निर्देश दिये गये। (कार्यवाहीः वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)
14	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** पेंशनर की मृत्यु की दशा में किये गये अधिक भुगतान की धनराशि को बैंक से वापस मंगाने के बजाय सम्बन्धित ट्रेजरी द्वारा पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समायोजित की जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** इस मॉग पर विचार कर सम्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निदेशक, कोषागार एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को दिये गये। (कार्यवाही :निदेशक कोषागार/वित्त (लेखा) अनुभाग-1)
15	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली मासिक बैठक के एजेण्डा में पेंशनर के प्रकरणों को भी शामिल किया जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** जिलाधिकारियों को पत्र भेजे जाने के निर्देश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को दिये गये। (कार्यवाही : वित्त (सामान्य) अनुभाग-3)
16	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के आदेश दिनांक 31-7-15 की कठिनाई दूर की जाय। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** शासनादेश दिनांक 31-07-2015 के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए वित्त विभाग को संदर्भित किये जाने का मत स्थिर किया गया। (कार्यवाही : वित्त (लेखा) अनुभाग-1)
17	**<u>चर्चा का बिन्दु :</u>** उ0प्र0 महालेखाकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1985 के नियम 11(2) के अनुसार जिस माह में धनराशि जी0पी0एफ0 में जमा होती है उसी माह से ब्याज दिया जाता है जबकि शासनादेश के अनुसार कार्मिकों को

http://shasanadesh.up.nic.in

	जिस तिथि को मंहगाई भत्ता अथवा अन्य देयक दिया जाता है उसी तिथि से उस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। अतः नियमावली 1985 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। **<u>समिति की संस्तुति :</u>** अवगत कराया गया कि महालेखाकार, उ0प्र0 शासनादेश के अनुसार नियत तिथि से ब्याज आगणित किये जाने हेतु सहमति है परन्तु इसके लिये महँगाई भत्ते के अवशेष के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं कोषागार स्तर पर समुचित निर्देश अंकित किया जाना आवश्यक बताया गया। निदेशक, कोषागार को निर्देश दिये गये कि इस संबंध में समस्त कोषागारों को आदेश जारी कर दिये जायें। (कार्यवाही निदेशक, कोषागार)

नील रतन कुमार
विशष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।